इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 11 जनवरी 2018—पौष 21, शक 1939

समाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

विभागीय मान्यता के नियम—2017

क्रमांक एफ-4-2-2018-छब्बीस-2 भोपाल, दिनांक 11 जनवरी, 2018

**समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत ( अशासकीय संस्थाओं को विभागीय मान्यता एवं अनुदान हेतु संशोधित नियम ) 2017**

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अन्तर्गत निराश्रित एवं निर्धन व्यक्तियों के लिये समाज हितैषी, विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक एवं पुनर्वास की अधिकांश योजनाओं का क्रियान्वयन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से विभाग द्वारा किया जाता हैं। विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुमति देना आवश्यक होता हैं, ताकि वे योजनाओं में निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये उनके अनुरूप कार्य संपादन कर सके।

इस हेतु विभाग द्वारा निःशक्त व्यक्तियों वृद्धजनों एवं निराश्रितों के कल्याण एवं पुनर्वास, तथा नशामुक्ति के क्षेत्र में कार्यरत् अशासकीय संस्थाओं, अशासकीय कला मंडलियों, सांस्कृतिक संगठनों को मान्यता प्रदान की जाती है । अशासकीय संस्थाएं जब तक विभागीय अनुदान के लिये पात्र नहीं होगी जब तक वे उक्त गतिविधियॉ संचालित करने के लिये विभागीय मान्यता प्राप्त नही कर लेती, लेकिन यह भी आवश्यक नहीं है कि जिन संस्थाओं को मान्यता दी जाती है उन्हें अनुदान दिया ही जाए ।

## नियम

**विभागीय ऑन लाइन मान्यता प्रदान करने के नियम बनाये जाते हैं।**

2. <u>उद्देश्य</u> :–

अशासकीय संस्थाओं को निम्नांकित गतिविधियॉ को प्रदेश मे संचालित करने हेतु आवेदन करने पर विभागीय मान्यता की पात्रता निम्नांकित क्षेत्रों में होगी :–

2.1 निःशक्त बच्चों एवं व्यक्तियों के कल्याण एवं समग्र पुनर्वास का कार्य ।

2.2 वृद्धजनों एवं निराश्रितों के कल्याण एवं पुनर्वास का कार्य ।

2.3 भारत सरकार की वृद्धजनों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (I.P.O.P.) के विभिन्न क्षेत्र में कार्य ।

2.4 नशाबंदी एवं नशामुक्ति का कार्यक्रम संचालन एवं पुनर्वास ।

2.5 कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास कार्यक्रम।

2.6 जनजागरण, पुनर्वास एवं निःशक्तजनों, वरिष्ठजनों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम ।

2.7 समाज में विद्यमान कुरीतियों, बुराईयों तथा हानिकारक वस्तुओं के सेवन से दूर रखने के लिये जन जागरण कार्य।

2.8 सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ।

3. <u>जिला स्तरीय समिति</u> :–

संस्थाओं के निरीक्षण एवं परीक्षण के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे :–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
2. जिला पुलिस अधिकारी
3. संयुक्त/उप संचालक,सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण
4. जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी
5. जिला कोषालय अधिकारी
6. सक्षम प्राधिकारी नगर निगम/नगरपालिका

उपरोक्त समिति की अनुशंसा उपरांत प्रस्ताव विभागीय मान्यता हेतु अनुशंसा सहित ऑनलाईन आवेदन हॉर्ड कापी सहित संचालनालय विभागीय मान्यता हेतु भेजना सुनिश्चित करेगे ।

4. पात्रताऐं :'–

विभागीय मान्यता के लिये मध्यप्रदेश में पंजीकृत ऐसी संस्थाएं पात्र होंगी जिनका पंजीयन निम्नानुसार हो :–

4.1 सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के अधिनियम, धर्मार्थ सोसायटियों, लोक न्यास के पंजीकरण अधिनियम 1951 संबंधी राज्य के नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाएँ।

4.2 म0प्र0सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973(सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन पंजीकृत संस्थाएँ।

4.3 कम्पनी अधिनियम 1958 की धारा 525 के अंतर्गत लाईसेंस प्राप्त धर्मार्थ संस्थाए।

5. आवेदन की प्रकिया :–

विभागीय मान्यता के लिये आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ऑन लाइन (On line) आवेदन (संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण जिला को) विभागीय पोर्टल **dpswbpl@nic.in** पर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र प्रारूप परिशिष्ट "अ" पर हैं। स्वयंसेवी संस्थाओं को सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न (निःशक्तजन, वृद्धजन एवं नशाबंदी ) कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु मान्यता के लिए पृथक–पृथक आवेदन करना होगा ।

6. मान्यता के मापदण्ड :–

6.1 जिले की कुल जनसंख्या में वृद्धजनों, निःशक्तजनों की जनसंख्या के आधार पर मान्यता हेतु विचार किया जावें ।

6.2 जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा अपनी अध्यक्षता में गठित समिति (विभागीय अधिकारी,राजस्व अधिकारी एवं अन्य विभाग के अधिकारी) की अनुशंसा उपरांत विचार किया जावें तथा संस्था का कार्य क्षेत्र जिले तक ही सीमित होगा।

6.3 जिन जिलों में निःशक्तजन, वृद्धजन एवं नशाबंदी के क्षेत्र में अशासकीय संस्था कार्यरत न होने पर प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जावें।

6.4 नशामुक्ति केन्द्र संचालन के लिए नर्सिग एक्ट के अंतर्गत पंजीवद्ध होना आवश्यक होगा।

6.5 संस्था की प्रबंधकारिणी समिति में एक ही परिवार के सदस्य होने पर मान्यता हेतु विचार नहीं किया जावेगा ।

7. मान्यता की प्रकिया :–

7.1 अशासकीय संस्थाएँ जिला कर्यालय में ऑनलाईन आवेदन देंगी।

7..2 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त होने के उपरांत संबंधित जिला अधिकारी द्वारा **एक सप्ताह** के भीतर संस्था का निरीक्षण कर, निरीक्षण प्रतिवेदन, ऑन लाईन आवेदन पत्र के साथ कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा।

7..3 जिला स्तर पर अनुशंसित प्रकरण पर, जिला कलेक्टर अनुशंसा के साथ 15 कार्य दिवस में आवेदन ऑन लाइन (Online) संचालनालय को अग्रेषित करेंगें।

7.4 कलेक्टर द्वारा 15 कार्य दिवस के भीतर प्रकरण अग्रेषित नही करने पर प्रकरण स्वयंमेव ऑन लाइन प्रक्रियाधीन संचालनालय को फारवर्ड हो जावेगा और प्रकरण पर बिना कलेक्टर की अनुशंसा के ही विचार किया जाएगा।

7.5 संचालनालय स्तर पर प्रस्ताव का परीक्षण कर उपयुक्त पाये जाने पर 07 कार्य दिवस में स्थाई मान्यता **पॉच वर्ष** के लिए देने पर विचार किया जाएगा ।

**8. नवीनीकरण :–**

अशासकीय संस्था द्वारा उद्देश्य अनुरूप विभागीय गतिविधियों के लिये सफलतापूर्वक कार्य किये जाने पर उन्हीं संस्थाओं को आगामी दस वर्षों के लिये मान्यता दी जावेगी। इस हेतु संस्थाओं को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनों तथा आडिट संबंधी जानकारी के साथ पुनः विभागीय मान्यता का नवीनीकरण हेतु ऑन लाइन प्रक्रिया द्वारा आवेदन करना आवश्यक होगा।

**9. विभागीय मान्यता के लिये आवश्यक दस्तावेज :–**

अशासकीय संस्था को ऑन लाइन आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज अपलोड करना होगाः–

9.1 सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/लोक न्यास पंजीकरण अधिनियम 1951/ म0प्र0 सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अधीन पंजीयन का प्रमाण पत्र।

9.2 संस्था का विधान (नियमावली, मेमोरेण्डम) की सत्यापित प्रति संबंधी जानकारी।

9.3. संस्था का पिछले दो वर्षो का ऑडिट प्रतिवेदन ।

9.4 संस्था की जीवित प्रबंधकारिणी समिति की सूची जो पंजीयक फर्मस एण्ड सोसायटी से अनुमोदित हो।

9.5 संस्था द्वारा संचालित गतिविधियों के लिये भवन संबंधी अनुबंध पत्र।

9.6 संस्था द्वारा लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी।

9.7 संस्था द्वारा संचालित गतिविधियों का 2 वर्ष का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन।

9.8 संस्था द्वारा किये जा रहे विभागीय कार्यों की आगामी कार्ययोजना ।

**10. नवीनीकरण हेतु दस्तावेजों की सूची :–**

अशासकीय/स्वैच्छिक संस्था को ऑन लाइन आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज अपलोड करना होगा:–

10.1 संस्था द्वारा विगत तीन वर्षो में किये गये कार्यो का विवरण सफलता की कहानियों सहित वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन।

10.2 संस्था को विगत तीन वर्षो में विभागीय एवं अन्य विभागों से स्वीकृत अनुदान (सभी प्रकार के अनुदान) के उपयोगिता प्रमाण पत्र ।

10.3 संस्था की प्रभावी कार्यकारिणी समिति की सूची ।

10.4 संस्था के विगत तीन वर्षो के आडिट प्रतिवेदन ।

10.5 जिस संस्था ने ऑडिट रिपोर्ट एवं वार्षिक प्रतिवेदन शासन को प्रेषित नहीं किया है, उनका नवीनीकरण नहीं किया जावेगा।

10.6 संस्था द्वारा किया गया उल्लेखनीय कार्य जिसके लिये नवीनीकरण आवश्यक हो

**11. पंजीयन/मान्यता हेतु शुल्क :–**

11.1 विभागीय मान्यता हेतु पंजीयन शुल्क रूपये 1000/–

11.2 नवीनीकरण हेतु शुल्क रूपये 500/– देय होगा जो आर.टी.जी. एस.के माध्यम से राज्य निराश्रित निधि के खाता कमांक 3281156080 में जमा कराया जावेगा। इसे वेबसाइट के रखरखाव पर उपयोग किया जावेगा।

**12. मान्यता समाप्त करना**

निम्नलिखित में से किसी एक कारण से संस्था की मान्यता समाप्त की जा सकेगी :–

12.1 संस्था को स्वीकृत अनुदान का संस्था द्वारा दुरूपयोग किया जाना पाये जाने पर या

12.2 विभागीय मान्यता की शर्ते तथा अनुदान स्वीकृति नियमों का उल्लंघन किया जाने पर या

12.3 संस्था द्वारा अनुदान संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने पर या

12.4 संस्था द्वारा किसी योजना का संचालन, योजना के अनुरूप नही किया जाना पाये जाने पर या

12.5 संस्था का विभागीय एवं अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय उपयुक्त संचालन स्थिति नही पाये जाने पर या

12.6 संस्था के अन्तर्गत किसी व्यक्ति विशेष द्वारा व्यक्तिगत लाभ लिया जाना पाये जाने पर या

12.7 प्रभावक सेवा कार्य की व्यापकता संस्था द्वारा रखा गया कर्मचारी वर्ग तथा उसके सीधे और तात्कालिक नियंत्रण में रहने वाले हितग्राहियों की अनुशासनहीनता पाये पर या

12.8 अपने नियमों, उपनियमों और संविधान का व्यवस्थित रीति से अनुश्रवण न करने पर या

12.9 आवेदक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं समाज के सभी वर्ग के लिए होना चाहिए न कि जाति, भाषा व धर्म के आधार पर या

12.10 जिन उद्देश्यों से मान्यता प्राप्त की गई है, उनमें विफल होने पर

**13. विविध**

इन नियमों में किसी भी तरह का परिवर्तन करने के लिये राज्य शासन सक्षम रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**अलका श्रीवास्तव,** अपर सचिव.

## सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश
## अशासकीय समाज सेवी संस्थाओं को अस्थाई/मान्यता के लिए आवेदन पत्र
## प्रपत्र (ऑन लाइन आवेदन हेतु)

| | | |
|---|---|---|
| 1 | अशासकीय संस्था का पंजीकृत पूर्ण नाम हिन्दी में<br><br>अंग्रेजी में | |
| 2 | शहर/मोहल्ला/ग्राम | |
| 3 | तहसील | |
| 4 | ब्लाक | |
| 5 | जिला | |
| 6 | राज्य | |
| 7 | पिन कोड | |
| 8 | दूरभाष नंबर | |
| 9 | मोबाइल नम्बर | |
| 10 | ई मेल का पता | |
| 11 | विभागीय मान्यता के लिये आवेदित योजना का नाम | |
| 12 | संस्था स्थापना का दिनांक | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | मान्यता के लिये विभागीय पंजीयन का क्रमांक व दिनांक | | |
| 14 | रजिस्ट्रार फर्मस एण्ड सोसाइटी से पंजीयन का क्रमांक व दिनांक (प्रमाण पत्र अपलोड करे) | | |
| 15 | अध्यक्ष का नाम | आधार | सम्पर्क नं. |
| 16 | सचिव का नाम | आधार | सम्पर्क नं. |
| 17 | संस्था के नियम तथा संविधान संबंधी जानकारी (अपलोड करें) | | |
| 18 | संस्था की प्रबंधकारिणी समिति का अनुमोदित कार्यकाल दिनांक से तक | | |
| | (सूची अपलोड करे) | | |
| 19 | संस्था का बैंक खाता क्रमांक | | |
| 20 | संस्था मे नियुक्त कर्मचारियो की जानकारी (सूची बैक अकाउन्ट नंबर सहित अपलोड करें ) | | |
| 21 | आवेदित योजनान्तर्गत लाभन्वित हितग्राहियों की जानकारी (सूची अपलोड करें ) | | हितग्राही |
| 22 | (अ)संस्था में उपलब्ध चल/अचल सम्पत्ति की जानकारी (सूची अपलोड करें )<br>(ब)संधारितअभिलेखो की जानकारी | | |

## प्रमाण पत्र

1. मैं प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ कि ऊपर निर्दिष्ट जानकारी सही हैं तथा संस्था किसी भी ऐसे दल की गतिविधियों में भाग नहीं लेती, जिसका आधार राजनैतिक, पृथकता या साम्प्रदायिकता हैं।

2. मैं श्री/श्रीमती/कुमारी.....पद का नाम.....
संस्था का नाम .....को मध्यप्रदेश सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय भोपाल, द्वारा समाज कल्याण संस्था के रुप में मान्यता दिलाने के लिए आवेदन पत्र देता हूँ/देती हूँ। मैं मध्यप्रदेश के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित नियमों व आदेशों के पालन के लिए प्रतिवद्व हूँ।

स्थान :–
दिनांकः–

हस्ताक्षर
सचिव/अध्यक्ष
पद मुद्रा सहित

## आवेदन पत्र की कंण्डिका 21 हितग्राही की जानकारी

| क्रमांक | योजना लाभार्थी का नाम | पिता/अभिभावक का नाम | पूर्ण पता | आयु | वर्ग ( अनु0जाति/ अनु0जन जाति/ पिछड़ा वर्ग /अनारक्षित | आधार नम्बर | यदि हितग्राही दिव्यांग है तो सम्पूर्ण विवरण | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | दिव्यांगता का प्रकार | दिव्यांगता का प्रतिशत | दिव्यांगता प्रमाणपत्र का जावक क. एवं दिनांक |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

## आवेदन पत्र की कण्डिका (20) कार्यरत अमला/स्टाफ का विवरण

| क0 | अधि0/कर्म0 का नाम | पिता/पति का नाम | पूर्ण पता | मानदेय | जन्म तिथि | आयु | वर्ग( अनु0जाति/अनु0जन जाति/पिछड़ा वर्ग अनु. जाति अनु. जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अनारक्षित | आधार नंबर | शैक्षणिक योग्यता | स्पेशलाइजेशन (निःशक्तता/नशामुक्ति/वृद्ध कल्याण) का सर्म्पूण विवरण | यदि आर सी आई का पंजीयन हो तो कं0/ दि0 | बैंक खाता का विवरण | | | रिमार्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | बैक/ब्रॉच का | आई एफ एस सी कोड | खाता कं0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

आवेदन का पत्र की कण्डिका 22

संस्था के पास उपलब्ध सामग्री चल अचल संपत्ति का पूर्ण विवरण

(अ) भूमि,कम्प्यूटर,फर्नीचर,वाहन अन्य

| कमांक | परिसम्पत्ति का नाम | स्थायी सामग्री | पूर्ण विवरण | संख्या | कीमत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(ब) संस्था व्दारा संधारित अभिलेखों का पूर्ण विवरण

| क्रमांक | अभिलेख का नाम | विवरण | रिमार्क |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.